



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

23-2024/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2024 (MAGHA 26, 1945 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 15th February, 2024

No. 1-HLA of 2024/2/4290.— The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2024 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 1-HLA of 2024

THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Municipal (Amendment) Act, 2024.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It shall apply to all the persons appointed on or after the date of the commencement of this Act.

Short title, commencement and applicability.

2. After section 38 of the Haryana Municipal Act, 1973, the following section shall be inserted, namely:-

Insertion of section 38A in Haryana Act 24 of 1973.

“ 38A. Power to make common service rules.- Notwithstanding anything contained in this Act, the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and any other State Law for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make common service rules regulating the appointment and other terms and conditions of the services of the persons recruited in connection with the affairs of the Municipal Corporations, Municipal Councils and Municipal Committees.”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. Municipalities in the State of Haryana have three tiers of hierarchy based on population criteria i.e., Municipal Corporation, Municipal Council and Municipal Committee. There were only Municipal Councils and Municipal Committees in the State till 1994 due to the small urban population. Haryana Municipal Act, 1973 (Act No. 24 of 1973) was enacted to govern the matters of municipalities in the State of Haryana. Keeping in view the 74th Constitutional amendment, the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 16 of 1994) was enacted for the constitution of Municipal Corporations in large towns. Faridabad Complex Administration (FCA) was responsible for the management of the city of Faridabad and it was upgraded to Municipal Corporation in 1994.
2. Sub-section (2) of section 3 of the ibid Act, 1994 provides that any area having a population of three lakhs or more shall be declared as a Municipal Corporation. Municipal Council, Gurgaon (now Gurugram), Yamunanagar-Jagadhari, Panchkula, Rohtak, Hisar, Ambala, Panipat, Karnal and Sonapat were upgraded as Municipal Corporations while Municipal Corporation, Manesar was constituted on 24th December, 2020.
3. All the municipalities are being administered by a single Department, i.e., the Urban Local Bodies Department. However, Municipal Councils/ Municipal Committees and Municipal Corporations are governed by separate Acts. The services of employees of Municipal Councils and Municipal Committees are governed under the Haryana Municipal Services (Integration, Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2010 framed under the Act No. 24 of 1973 whereas the services of employees of Municipal Corporations are governed under the Haryana Municipal Corporation Employees (Recruitment and Conditions) Service Rules, 1998 framed under the Act No. 16 of 1994.
4. Due to the merging of Municipal Councils/Municipal Committees or the upgradation of Municipal Councils to Municipal Corporations, their employees become the employees of the newly constituted Municipal Corporations. In such a situation, it is very difficult for the Municipal Corporation to refix their seniority.
5. Further, the Department has been transferring the employees of Municipal Councils/Municipal Committees to Municipal Corporations and vice versa on administrative grounds in the public interest for the smooth working of municipalities.
6. Due to the above reasons, the Department is facing administrative difficulties and resultant litigations on account of such adjustments/ transfers, and these litigations defeat the purpose of proper deployment of the municipal staff for better productivity. Further, promotions for transferring employees also get affected.
7. Therefore, to improve the service conditions of employees and their utilisation in providing municipal services as per their competence and experience, the Department has felt the need for the applicability of common service rules to all the categories of employees of Municipal Corporations, Municipal Councils and Municipal Committees by making amendments to the Haryana Municipal Act, 1973 by inserting new section 38A in the said Act.
8. Hence, it is necessary to carry out the amendment to the Haryana Municipal Act, 1973 (Act No. 24 of 1973) by way of enacting the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2024. Hence, the Bill.

DR. KAMAL GUPTA,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 15th February, 2024.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2024 का विधेयक संख्या 1-एच०एल०ए०

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024
हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,
1973 को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
(3) यह इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को या के बाद नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।

संक्षिप्त नाम,
प्रारम्भ तथा
लागूकरण।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 38 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी,
अर्थात्:-

1973 के हरियाणा
अधिनियम 24 में
धारा 38क का
रखा जाना।

"38क. सामान्य सेवा नियम बनाने की शक्ति.— इस अधिनियम, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) तथा तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगरपालिका समितियों के मामलों के संबंध में भर्ती किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति तथा सेवा के अन्य निबंधनों तथा शर्तों को विनियमित करने हेतु सामान्य सेवा नियम बना सकती है।"

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

1. हरियाणा राज्य में जनसंख्या मापदण्ड के आधार पर पालिकाओं के तीन स्तर हैं अर्थात् नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पालिका। राज्य में वर्ष 1994 तक, कम शहरी आबादी के फलस्वरूप, केवल नगर परिषद् एवं नगर पालिकाएँ थी। हरियाणा राज्य की पालिकाओं के मामलों के संचालन हेतु हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्या 24) को अधिनियमित किया गया था। 74वें संवैधानिक संशोधन के मध्यनजर, बड़े शहरों में नगर निगमों के गठन हेतु हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 16) अधिनियमित किया गया था। फरीदाबाद शहर के प्रबन्धन के लिए फरीदाबाद संव्यूह प्रशासन उत्तरदायी था तथा वर्ष 1994 में इसे नगर निगम में परिवर्तित किया गया।
2. उक्त अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप-धारा (2) में तीन लाख या अधिक की आबादी वाले किसी भी क्षेत्र को नगर निगम घोषित करने का प्रावधान है। नगर परिषद्, गुडगांव (अब गुरुग्राम), यमुनानगर—जगाधरी, पंचकूला, रोहतक, हिसार, अम्बाला, पानीपत, करनाल एवं सोनीपत नगर निगम में अपग्रेड हुई थी जबकि नगर निगम, मानेसर का गठन दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 को किया गया।
3. सभी पालिकाओं का संचालन एकल विभाग अर्थात् शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, नगर परिषद्/नगर पालिकाएँ एवं नगर निगम अलग-अलग अधिनियमों के अधीन संचालित हैं। नगर परिषद्/नगर पालिकाओं के कर्मचारियों की सेवाएँ 1973 के अधिनियम संख्या 24 के अंतर्गत बनाये गये हरियाणा नगरपालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2010 के तहत संचालित हैं, जबकि नगर निगम के कर्मचारियों की सेवाएँ 1994 के अधिनियम संख्या 16 के अंतर्गत बनाये गये हरियाणा नगर निगम कर्मचारी (भर्ती एवं शर्तें) सेवा नियम, 1998 के तहत संचालित हैं।
4. नगर परिषद्/नगर पालिकाओं के विलय अथवा नगर परिषद् के नगर निगम में अपग्रेड होने के फलस्वरूप, इनके कर्मचारी नवगठित नगर निगम के कर्मचारी बन जाते हैं। इस अवस्था में, नगर निगम के लिए इनकी वरिष्ठता को दोबारा तय करने में कठिनाईयें आती हैं।
5. आगे, विभाग द्वारा पालिकाओं के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु जनहित में, प्रशासनिक आधार पर नगर परिषद्/नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को नगर निगमों में तथा नगर निगमों से नगर परिषद्/नगर पालिकाओं में स्थानांतरित किया जाता रहा है।
6. उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप, विभाग को ऐसे समायोजन/स्थानांतरणों के दृष्टिगत प्रशासनिक कठिनाईयें एवं परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ रहा है तथा ये मुकदमेबाजी बेहतर कार्यशैली के लिए पालिकाओं के कर्मचारियों की उचित तैनाती के उद्देश्य को विफल करता है। आगे, इसके अतिरिक्त, स्थानांतरित कर्मचारियों की पदोन्नति भी प्रभावित होती है।
7. अतः कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सुधारने एवं उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार उनकी सेवाओं को उपयोगी बनाने हेतु विभाग द्वारा नगर निगमों, नगर परिषद् एवं नगर पालिकाओं के सभी वर्गों के कर्मचारियों पर समान सेवा नियम लागू करने के लिए उक्त अधिनियम में हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में नई धारा 38क को जोड़कर संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई है।
8. इसलिए, हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 के माध्यम से हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्या 24) में संशोधन करना आवश्यक है। अतः यह विधेयक।

डॉ० कमल गुप्ता,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 15 फरवरी, 2024.

आर० के० नांदल,
सचिव।